श्री रामावतार मिश्रा एड.

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमती निर्मलादेवी | डीपला

तारीख हुक्म	965/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 223 RTAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/17	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलांट विवादग्रस्त सम्पत्ति के रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार है जो मौके पर काश्त कर रही है। अप्रार्थीगण। रेस्पोंडेन्ट बिना तकासमा करवाये ही अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने पर आमदा है एवं यदि उन्होंने विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग का बेचान कर दिया तो अपीलांट को अपूरणीय हानि कारित होगी एवं प्रकरण मे अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होंगे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे आगे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति का अधूरा आदेश ही पारित किया गया। अतः विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति के आदेश के साथ ही बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण नहीं करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण। रेस्पोंडेन्टस को पाबन्द किये जाने के आदेश फरमाया जावे। हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे मूल वाद सहखातेदारों के मध्य तकासमे से सम्बन्धित है। अतः	

जयपुर

राजस्व अपील प्रा... जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रीमती निर्मला देवी | डीएलए

तारीख हुक्म	965/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण की इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्य प्रथमदृष्टया उचीत प्रतीत होते है, परन्तु चूंकी इस न्यायालय के समक्ष मोजूदा प्रकरण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट को अवसर मोजूद है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये एक माह की अवधि मे गुणावगुण पर निर्णय पारित करे एवं तब तक उभयपक्षकारान विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग का बेचान, हस्तान्तरण नही करे एवं मौके पर निर्माण नही करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।	
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	